41

148

निग० 5671/2018/सीधी/भू०रा०

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

विलोपित Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, द्वारा पेश 17-9-18

जानकी प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री रामलाल त्रिपाठी निवासी चोरहट,

तहसील चुरहट जिला सीधी म०प्र० ---------- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० राज्य ---------- ------- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

भूराजस्व संहिता सन1959ई० विरुद्ध

तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी म०प्र०

के आदेश दिनांक 7-8-18 जो प्रकरण क्रमांक

31अ74/ 17-18 व 31अ -68/17-18 मेपारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है

1- अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही एवम प्रश्नाधीन आदेश 7-8-18 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- तहसीलदार ने आम जनता केनाम से फर्जी शिकायत तैयार करा कर दिनांक 24-4-18 को निगरानीकर्ता के विरुद्ध भूमि खसरा नं० 91/1 स्थित गाम पटहा तहसील चोरहट रकवा 0-20 है० के सम्बन्ध मे संस्थित किया और विना सुनवाई के व विना जांच व विना परिमाप के स्थगन आदेश दिया निगरानीकर्ता को नोटिस भी जारी नही किया और दिनांक 31-7-18 को आदेशपत्रिका

(51)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5671 / 2018 / भ–रा0 जिला–सीधी

जानकी प्रसाद त्रिपाठी / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 156 / अ–74 / 2017–18 में संलग्न तहसीलदार चुरहट का प्रकरण क्रमांक 0031 / अ–68 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	